भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3635
(10 अगस्त, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सभी के लिए आवास

3635. श्री त□न कुमार गोगोई:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृ□ा करेंगे किः

(क) क्या अनेक बी□ीएल □रिवारों जो "सभी के लिए आवास मिशन" की सूची में नहीं हैं; को सरकार के "सभी के लिए आवास" विज़न के अंतर्गत जनगणना 2011 के माध्यम से 2022 की समय-सीमा तक सभी के लिए आवास मिशन का हिस्सा बनाने का कोई प्रावधान है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उ□ाय किए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार अ□ने उद्देश्य 'सभी के लिए आवास' को □ूरा करने के लिए देश में 2016 से बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ □क्के मकान निर्माण के लिए □ात्र ग्रामीण □रिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण (□ीएमएसवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना का उदेश्य बेघर □रिवारों और कच्चे एवं जर्ज़र मकानों में रह रहे □रिवारों को बुनियादी सुविधाओं सहित □क्के मकान उ□लब्ध कराना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता उन लोगों □र लक्षित है जो वास्तव में वंचित हैं और प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (□ीएमएवाई-जी) के तहत उनका चयन उद्देश्य□ूर्ण और सत्या□न योग्य है, लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 में आवास अभाव मानकों का उ□योग करके किया जाता है, जिसे ग्राम सभाओं द्वारा सत्या□ित किया जाना होता है।

दिनांक 06.08.2021 की स्थिति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 तक आवंटित लक्ष्य 2.63 करोड़ में से 2.0 करोड़ मकानों को स्वीकृत किया गया है और 1.52 करोड़ मकानों का निर्माण कार्य □रा हो गया है। □ीएमएवाई-जी के अंतर्गत वह □रिवार जो सहायता के □ात्र हैं (एसईसीसी-2011 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार) लेकिन □ात्र लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं हैं। ऐसे □रिवारों को शामिल करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से एक दूसरा सर्वेक्षण आवास+ आयोजित किया गया है। आवास+ सर्वेक्षण के अंतर्गत 3.57 करोड़ अतिरिक्त □रिवारों को □ंजीकृत किया गया है। आवास+ □र □ंजीकृत 3.57 करोड़ □रिवारों की सूची से इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के लिए वास्तविक वंचित □रिवारों को छांटने की आवश्यकता थी और इसलिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है और वित्तीय वर्ष 2021-22 तक □ात्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतिम आवास+ सूची से लगभग 51 लाख का लक्ष्य आवंटित किया गया है।

*****